36

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1923–तीन/1999 – विरूद्व – आदेश दिनांक – 24–11–1999 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 98/1991–92 अपील

श्रीमती रामवाई पुत्री महिला कंठश्री पत्नि नेतराम
निवासी राधाकृष्ण मंदिर बोहरे कृषि फार्म
लश्कर रोड भिण्ड तहसील व जिला भिण्ड ———आवेदक

विरूद्व

1– श्रीमती अॅगूरी देवी पत्नि ताराचन्द
729/1 गांधीनगर आगरा,उत्तरप्रदेश
2– श्रीमती विद्यादेवी पत्नि रामगोपाल
निवासी बेलनगंज आगरा उत्तर प्रदेश ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री ओ0पी0शर्मा)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 6–9 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 98/2991–92 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–11–1999 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम कथियाना स्थित भूमि कुल किता 6 कुल रकबा 15 विसवा के हिस्सा 3/4 के भूमिस्वामी रामनारायण एंव 1/4 की भूमिस्वामी

महिला कण्ठश्री थी जिनकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 66 पर आदेश दिनांक 23–9–90 से श्रीमती रामवाई पुत्री कंठश्री का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण व्दारा अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष अपील की गई, जो प्रकरण कमांक 117/90–91 पर दर्ज हुई।

ग्राम खिरेटा स्थित कुल किता 11 के संपूर्ण भाग एंव कुल किता 8 के 1/2 भाग के भूमिस्वामी रामनारायण तथा महिला कण्ठश्री थी , जिनकी मृत्यु पर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 173 पर आदेश दिनांक 22–9–90 से आवेदक का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 116/90–91 पर पंजीबद्व हुई।

ग्राम खण्डौली की कुल किता 3 के संपूर्ण भाग एंव सर्वे कमांक 5 के हिस्सा 3/4 एंव सर्वे कमांक 4 के हिस्सा 1/4 के भूमिस्वामी रामनारायण तथा महिला कण्ठश्री थी , जिनकी मृत्यु पर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 1 पर आदेश दिनांक 22–9–90 से आवेदक का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 118/90–91 पर पंजीबद्व हुई।

अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह ने तीनों प्रकरणों में सुनवाई कर सॅयुक्त रूप से आदेश दिनॉक 1371–1992 पारित किया तथा तीनों अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 98/2991–92 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–11–1999 दोनों अधीनस्थ न्यायलयों के आदेश निरस्त किये गये तथा प्रकरण तहसील न्यायालय में इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि समस्त हितबद्व पक्षकारों को सुनकर पुनः विधिवत् आदेश पारित किया जावे। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क

सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण को बार—बार सूचना पत्र भेजे गये, किन्तु सम्यक निर्वहन की जानकारी के अभाव में उन्हें पंजीकृत डाक से सूचना पत्र भेजने के वाद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि मृतक पोखन के दो पुत्र तथा एक पुत्री अर्थात आवेदक की मॉ महिला कण्ठश्री थी। पोखन की मृत्यु उपरांत वाद विचारित भूमि पर नामान्तरण कार्यवाही हुई है। अगर द्रोपती नाम की पुत्री पोखन की थी तब उसे यथासमय नामान्तरण आदेश को चुनौती देना चाहिये थी अथवा पोखन की मृत्यु उपरांत उसे स्वयं का नामान्तरण कराने की पहल करना चाहिये थी, परन्तु अपर आयुक्त ने इस पर विचार नहीं किया है। मृतक खातेदारों के स्थान पर नामांत्रण करने के पूर्व विधिवत् इस्तहार का प्रकाशन हुआ है तब किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की। ग्रामवासियों के पंचनामा से तथा पटवारी के प्रतिवेदन पर से नामान्तरण किया गया है जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने विधिवत् विचार कर तीनों अपील निरस्त की हैं परन्तु अपर आयुक्त ने आदेश दिनॉक 24—11—99 पारित करते समय वास्तविक तथ्यों को नजरन्दाज कर विधिवत् हुये नामान्तरण को निरस्त कर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने हेतु गलत आधारों पर प्रकरण रिमान्ड किया है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त व्दारा ग्राम की नामान्तरण पंजियों के परीक्षण विचार कर निष्कर्ष निकाला है कि मृतक भूमिस्वामियों के स्थान पर नामान्तरण करने के पूर्व इस्तहार विधिवत् जारी नहीं किया जाना पाया गया है। पंजी में पटवारी ने मृतकों के स्थान पर जो सजरा खानदान तैयार कर प्रस्तुत किया है उसमें अनावेदकगण की मॉ द्रोपती का नाम छोड़ दिया है। नामान्तरण कार्यवाही के दौरान अनावेदकगण ने लेखी आपत्ति

प्रस्तुत की है परन्तु उस पर विचार नहीं किया गया एंव आपत्ति का उल्लेख किये बिना ही आवेदक को एकमात्र उत्तराधिकारी मानते हुये नामान्तरण कर दिया है, जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 98/2991—92 अपील में पारित आदेश दिनांक 24—11—1999 से हितबद्व पक्षकारों को पक्ष रखने एंव सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। दोनों ही पक्षों को तहसील न्यायालय में पुर्नसुनवाई के दौरान अपना अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 98/2991—92 अपील में पारित आदेश दिनांक 24—11—1999 विधिवत् होने से यथावत् रखते हुये निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर